न्यायालय, सहायक कलक्टर एंव पदेन उपखण्ड अधिकारी मुकाम रायसिंहनगर,
जिला श्रीगंगानगर

पीठासीन अधिकारी : श्री सुभाष चन्द्र {आर.ए.एस.}

/2025

जीसीएमएस : 2025/00162

जसविन्द्र कौर पुत्री श्री बचन सिहं पत्नि मन्दर सिहं जाति मजहबी निवासी 74 एन पी तहसील रायसिंहनगर जिला श्री गंगानगर।

—:वादीया

बनाम

स्टेट ऑफ राजस्थान जरिये तहसीलदार राजस्व रायसिंहनगर जिला श्रीगंगानगर राज.।

—:प्रतिवादी

वादपत्र अन्तर्गत 136 लैण्ड रेवन्यू एक्ट

त अधिवक्तागण

श्री नरेन्द्र कुमार भादू अधि. वादीया।

स्टेट ऑफ राजस्थान जरिये राज पेरोकार प्रतिवादी ।

दिनांक :—20.06.2025

—:निर्णयः—

संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि वादीया जसविन्द्र कौर पुत्री श्री बचन सिहं पत्नि मन्दर सिहं जाति मजहबी ी 74 एन पी तहसील रायसिहंनगर हाल 8 एच बड़ा संगतपुरा, जिला श्री गंगानगर ने अन्तर्गत धारा 136 लैण्ड एक्ट के तहत वाद पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया कि चक 74 एन पी के खाता नं. 67/64 के मु.न. 35—32 प.न. /332, 269/332 में 6.22वि है. नहरी भूमि में 1/9 हिस्सा राजस्व रिकॉर्ड में वादिया के नाम दर्ज है। मुझे वादीया ाम राजस्व रिकॉर्ड में सहवन हरपालकौर पुत्री बचन सिहं दर्ज है जबकि मेरे अन्य दस्तावेजात जैसे आधार कार्ड, न पत्र, व जन आधार कार्ड में मुझे वादीया का नाम जसविन्द्र कौर पत्नी मन्दर सिहं दर्ज है, फोटो प्रति सलग्न वाद है। उक्त भूमि राजस्व रिकॉर्ड में सहवन से हरपाला कौर पुत्री बचन सिहं के नाम से दर्ज हो गयी है। वादीया को के घर पर हरपालकौर के नाम से ही जाना पहचाना व पुकारा जाता था तथा मेरी शादी होने के बाद मेरे ससुराल मे नाम जसविन्द्र कौर रख दिया गया तथा मेरे समस्त दस्तावेजात में जसविन्द्र कौर के नाम से ही बने हुये है, राजस्व र्ड में मेरा नाम हरपाल कौर दर्ज होने के कारण वादीया को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। उक्त दुरूस्ती स्व रिकॉर्ड में हरपाल कौर के स्थान पर जसविन्द्र कौर पुत्री बचान सिहं दर्ज करवाना चाहती है। वादीया हरपालकौर सविन्द्र कौर एक ही महिला है अलग अलग महिलाये नहीं है। हरपालकौर वादिया का घरेलू नाम है, जिससे भी या को जाना —पहचाना व पुकारा जाता है। उक्त रकबा पर वादिया को संबंधित सरकारी सहायता, योजना व ऋण करने व लाभ प्राप्त करने में काफी अड़चने पैदा हो रही हैं, उपरोक्त भूमि की जमाबन्दी में उक्त वर्णित त्रुटि को त करवाने हेतु पटवारी हल्का एवं संबंधित विभाग से सम्पर्क करने पर निवेदन किया गया, जिस पर हल्का पटवारी प्रतिवादी द्वारा इस सन्दर्भ में अक्षमता व्यक्त की गई, जो कि बिनाये दावा एवं बिनाये मुखास्मत है, वादीया का नाम के दस्तावेजात में शुरू से ही जसविन्द्रकौर दर्ज है। इस कारण वादीया के पास श्रीमान् न्यायालय में चाराजोही कर ोष प्राप्त करने के अलावा अन्य कोई विकल्प शेष नहीं रहा है।

अतः वादीया का वाद—पत्र निम्न प्रकार से डिक्री फरमाने की कृपा करे कि वाके चक 74 एन पी तहसील सेहंनगर के खाता नं. 67/64 के के मु.न. 35—32 प.न. 266/332, 269/332 में 6.22वि है. नहरी भूमि में वादीया नाम हरपालकौर पुत्री बचन सिहं से जसविन्द्र कौर पुत्र बचन सिहं राजस्व रिकॉर्ड में दुरूस्त करने के आदेश दिये । अन्य अनुतोष जो न्यायालय उचित समझे वह वादीया को दिलाया जावे।

वादीया के द्वारा वाद पत्र पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादी की ओर जरिये राज पेरोकार उप लदार (राजस्व) समेजा ने जबाव प्रार्थना—पत्र प्रस्तुत किया । अपने जवाब प्रा.पत्र में कोई विरोध प्रकट नहीं किया। लदार रायसिहंनगर ने अपनी रिर्पोट कमांक/भू.अ./2025/3833 दिनांक 11.06.2025 के द्वारा प्रस्तुत की है कि क रिकॉर्ड जमाबन्दी के अनुसार वाके चक 74 एन पी के खाता नं. 67 प.न. 266/332 के मु.न. 35 के 2.530 है. व 269/332 मु.न. 32 के 3.694 है. कुल 6.224 है. हरपालकौर पुत्री बचन सिह जाति मजहबी साकिन देह खातेदार 1/9 दर्ज है। यह रकबा हरपालकौर को अपने पिता से विरास्तन प्राप्त है। बचन सिंह के वारिसान चक 74 एन पी में करते है। उनसे व गांव के मोहतबिरान से पूछताछ व जॉच पड़लात की गई । पूछताछ व जॉच पडताल में बताया कि बचन सिहं की पॉच पुत्रिया है जिन में से उक्त पुत्री का नाम हरपालकौर है। जिसकी शादी के बाद ससुराल में जसविन्द्र कौर पत्नी मन्दर सिहं है। अतः हरपालकौर व जसविन्द्र कौर एक ही औरत के नाम है। राजस्व रिकॉर्ड मे या का नाम हरपालकौर उर्फ जसविन्द्रकौर पुत्री बचन सिहं किया जाना उचित है। वकील वादीया ने अपने साक्ष्य में वेज सूची फार्म न. 3 के अनुसार प्रस्तुत की गई।

उभयपक्षकारान के अधिवक्तागण की बहस सुनी गई। वकील वादीया ने अपनी बहस में अपने वाद—पत्र में अंकित को दोहराते हुये उक्त दुरूस्ती की जाने हेतु निवेदन किया। प्रतिवादी की ओर से राज पेरोकार ने अपनी बहस में जबाव दावा में अंकित तथ्यों तथ्यों को दोहराया ... कमांक/ 3833 दिनांक 6—2025 के अनुसार वादीया जसविन्द्र कोर के वाद—पत्र में राजस्व ... हरपालकौर पुत्र बचन सिंह के पर हरपालकौर उर्फ जसविन्द्र कौर पुत्री बचन सिंह की दुरूस्ती ... की है। वादीया ने अपने —पत्र में स्वयं का शपथ—पत्र भी प्रस्तुत किया। आधार कार्ड ... 39365206 ... जसविन्द्रकौर पत्नि मन्दरसिंह,पड़चान स. आर/01/007/351316जसविन्द्रकौर पति मन्दर सिंह जन आधार ... 4566040839 जसविन्द्र सिहं के नाम की फोटो प्रति प्रस्तुत की है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Subhash Chandra
Date: 2025.07.10 16:30:26 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
रायसिंहनगर

AnyScanner

हस पक्षकारान पर मनन किया गया । पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात का अवलोकन किया गया। पक्षकारान द्वारा
दस्तावेजात एवं तहसीलदार रायसिंहनगर की रिपोर्ट दिनांक 11.06.2025 की अनुशंषा के अनुसार वादीया का
आंशिक डिक्री किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है।

—:आदेश:—

उक्त विवेचन के आधार पक्षकारान के द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजात एवं तहसीलदार रायसिंहनगर की रिपोर्ट
16.06.2025 की अनुशाषां के आधार पर वादीया वाद–पत्र निम्न प्रकार से आंशिक डिक्री किया जाता है कि :-
74 एन पी के खाता नं. 67 प.न. 266/332 के मु.न. 35 के 2.530 है. व प.न. 269/332 मु.न. 32 के 3.694 है
4 है. हरपालकौर पुत्री बचन सिहं जाति मजहबी साकिन देह खातेदार 1/9 हिस्सा के स्थान पर हरपालकौर उर्फ
कौर पुत्री बचन सिहं दर्ज करने के आदेश दिये जाते है। तदनुसार राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद किया जावे।
सार पर्चा डिक्री जारी की जाकर पालनार्थ तहसीलदार रायसिंहनगर को भिजवाई जावे। पत्रावली फैसलशुमार होकर
क्रम होकर बाद तकमील जाब्ता दाखिल दफ्तर/लेख भण्डार जमा हो।

उपखण्ड अधिकारी
{सुभाषचन्द्र (आर.ए.एस)}
रायसिंहनगर
सहायक कलेक्टर एवं पदेन उपखण्ड अधिकारी
रायसिंहनगर जिला श्रीगंगानगर

आज दिनांक 20.06.2025 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले इजलास सुनाया गया।

{सुभाषचन्द्र (आर.ए.एस)}
उपखण्ड अधिकारी
सहायक कलेक्टर एवं पदेन उपखण्ड अधिकारी
रायसिंहनगर
रायसिंहनगर जिला श्रीगंगानगर।

Signature Not Verified

Digitally signed by Subhash Chandra
Date: 2025.07.10 15:30:26 IST
Reason: SelfAttested

AnyScanner

डिक्री व मुकदमें इत्तदाई
(आदेश 20 रूल 6–7 जाब्ता : दीवानी)

CIVIL PROCEDURE CODE APPENDIX D-1

अज अदालत उपखण्ड अधिकारी(राजस्व) मुकाम रायसिंहनगर
बईजलास : सुभाष चन्द्र आर.ए.एस.

जीसीएमएस : 2025 / 00162

2025
...कौर पुत्री श्री बचन सिहं पत्नि मन्दर सिहं जाति मजहबी निवासी 74 एन पी तहसील रायसिंहनगर
...श्री गंगानगर। —:वादीया

बनाम

...ट ऑफ राजस्थान जरिये तहसीलदार राजस्व रायसिंहनगर जिला श्रीगंगानगर राज.।
—:प्रतिवादी

वादपत्र अन्तर्गत 136 लैण्ड रेवन्यू एक्ट

—: निर्णय :— दिनांक:—20.6.2025

...ह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कतई बरूबरू हमारे बहाजरी श्री नरेन्द्र कुमार भादू अधिवक्ता वादीया , राज ...जरिये उप तहसीलदार समेजा प्रतिवादी पेश होकर हुकम दिया जाता है कि तहसीलदार रायसिंहनगर की रिपोर्ट ...6.06.2025 की अनुशाषां के आधार पर वादीया वाद–पत्र निम्न प्रकार से आंशिक डिक्री किया जाता है कि :– वाके ...एन पी के खाता नं. 67 प.न. 266 / 332 के मु.न. 35 के 2.530 है. व प.न. 269 / 332 मु.न. 32 के 3.694 है. कुल ...हरपालकौर पुत्री बचन सिहं जाति मजहबी साकिन देह खातेदार 1 / 9 हिस्सा के स्थान पर हरपालकौर उर्फ ...कौर पुत्री बचन सिहं दर्ज करने के आदेश दिये जाते है। तदनुसार राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद किया जावे। ...सार पर्चा डिकी जारी की जाकर पालनार्थ तहसीलदार रायसिहंनगर को भिजवाई जावे।

डिक्री आज दिनांक 20.06.2025 को जारी की गई।

(सुभाष चन्द्र)
आर.ए.एस.
उपखण्ड अधिकारी
रायसिंहनगर

उपखण्ड अधिकारी रायसिंहनगर

...मांक:– रीडर / 2025 / 861 दिनांक:–25/6/25
...लिपि:– 1.तहसीलदार (राजस्व) रायसिंहनगर को पालनार्थ प्रेषित है।

(सुभाष चन्द्र)
आर.ए.एस.
उपखण्ड अधिकारी
रायसिंहनगर

उपखण्ड अधिकारी रायसिंहनगर

Signature Not Verified

Digitally signed by Subhash Chandra
Date: 2025.07.10 15:30:26 IST
Reason: SelfAttested

SCAN AnyScanner